आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdacad1960@gmail Ph 0141-2706550

क्रमांकः—एफ—7(4)प्रवेश/अकाद/आकाशि/2020/ 49 दिनांकः—: 3 फरवरी 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषयः—**राज्य के समस्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां दिनांक 08 फरवरी 2021 से पुनः प्रारम्भ करने बाबत् ।**

महाविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के गृह विभाग के आदेश क्रमांक प0—33 (2)गृह/ग्रुप—9/2019 दिनांक 06 जनवरी 2021 की अनुपालना में दिनांक 18 जनवरी 2021 से महाविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर—उत्तरार्द्ध की कक्षाएं अध्ययन हेतु प्रारम्भ की जा चुकी हैं ।

इसी क्रम में गृह विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ—33(2)गृह/ग्रुप—9/2019 दिनांक 01 फरवरी 2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों की समस्त कक्षाएं पूर्ण रूप से दिनांक 08 फरवरी 2021 से अध्ययन हेतु प्रारम्भ होंगी ।

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी । निर्देशानुसार सभी महाविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सहित अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाये तथा कक्षाओं का संचालन केन्द्र के दिशा—निर्देशों एवं एसओपी के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ।

राज्य सरकार द्वारा कोविड़ महामारी की रोकथाम के लिये जारी निम्न गाईड लाईन्स की पालना महाविद्यालय परिसर में सुनिश्चित की जावे :—

1. महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा ।
2. महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी/अभिभावक/स्टाफ अनावश्यक रूप से एक जगह एकत्रित न हो ।
3. अध्ययन अवधि के दौरान महाविद्यालय में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा । **"No Mask No Entry"** की पालना आवश्यक है एवं पीने के लिये पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।
5. अध्ययन कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग (06 फिट की दूरी) तथा प्रत्येक मंजिल पर क्लास रूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे, ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे ।
6. केंटीन स्टाफ/केंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे । विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे ।
7. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे – रैलिंग, डोर हैण्डलस् एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार—बार सफाई की जावे ।
8. विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है ।
9. आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे ।

10. अध्ययन के दौरान किसी भी विद्यार्थी/शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ के कोविड–19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल/कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रैफर/भर्ती किया जावे ।
11. महाविद्यालय में अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर आने के समय सेनेटाईजर/साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावे ।
12. महाविद्यालय में प्रतिदिन काम आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज किया जावे ।
13. सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबन्ध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड कारित किया जावे ।
14. सभी फैकल्टी मैम्बर्स एवं विद्यार्थी ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ थोऐं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथ स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें ।
15. महाविद्यालय अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाईल फोन पर आरोग्य सेतू एप इंस्टाल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेगें ।
16. श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी नियमों की शक्ति से पालना की जावे, जिसके अन्तर्गत खांसते–छींकते समय अपने मुंह व नाक को टिश्यू/रूमाल से ढ़कना न भूलें ।
17. अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखते हुये किसी भी प्रकार की बीमारी की तुरन्त रिपोर्ट करना ।

कोविड़–19 के संक्रमण से बचाव के लिये अनिवार्य है कि समस्त महाविद्यालयों में स्टाफ/विद्यार्थी इन दिशा–निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें । इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दण्डनीय है । अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें ।

03/02/2021

(संदेश नायक)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2– वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

03/02/21

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा,राज0, जयपुर